प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर** थाना:– सीपीएस जयपुर **वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 41/2022 दिनांक 10/02/2022

2. (1) अधिनियम **2018** धारा **7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें:–
(3) अधिनियम .... धाराये :–........................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 195 समय 3:10 Pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– **मंगलवार, दिनांक 09.02.2022, समय 12.35 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **08.02.2022 समय 05.15 पी0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **टाईपशुदा**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :–**चौकी से पूर्व दक्षिण में करीब 02 कि0मी0 दूर।**
(ब) पता :– **एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पम्प जालोर।**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता :–
श्री खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल नम्बर 9799776725

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
1. श्री श्योराम मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम ईश्वरीसिंह पुरा वाया आंधी तहसील जमवायरामगढ जिला जयपुर हाल अधीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेंज XXII जालोर।
2. श्री करताराम पुत्र श्री रूपा जी जाति चौधरी उम्र 51 वर्ष निवासी आर्शीवाद कॉलोनी गौडीजी जालोर तहसील व जिला जालोर।
3. श्री नितेश कुमार पुत्र श्री रामलाल गौड जाति ब्राहम्ण उम्र 35 वर्ष निवासी आशापूर्णा कॉलोनी तहसील व जिला जालोर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–........................

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 1,00,000 / –रू0 .**

11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
A.C.B जालोर राजस्थान।

विषय :— रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने के क्रम में।

महोदयजी,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल नम्बर 9799776725 है। मैं फर्म जय गुरूदेव माईन्स में केयरटेकर का काम करता हूं। हमारे द्वारा उक्त फर्म का पूर्व का रिटन (टेक्स) जमा नही करवाया गया था इसलिए सीजीएसटी विभाग जालोर द्वारा हमारी उपरोक्त फर्म का सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया था। इसको वापिस एक्टीवेट (चालू) करवाने के लिये मैनें करीब एक माह पूर्व का बकाया रिटन ऑनलाईन जमा करवा दिया था। रिटन जमा करवाने के उपरान्त भी सीजीएसटी विभाग के अधीक्षक श्री श्योराम मीणा मुझे बार–बार चक्कर कटवा रहै है। आज से करीब तीन–चार रोज पूर्व मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक साहब से उनके कार्यालय में मिला तो उन्होनें कहा कि तुम्हारी फर्म को पुनः एक्टीवेट (चालू) करवाना है तो दो लाख रूपये खर्चे पानी के देने पडेगें वर्ना घूमते रहोगें।

मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक से कोई दुश्मनी नही है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक 08.02.2022

प्रार्थी
एसडी
खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी
निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल
नम्बर 9799776725

एसडी मुकेश शर्मा एसडी ईश्वर सिंह राव
09.02.2022 09.02.2022

एसडी महावीरसिंह अ.पु.अ.
08.02.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.02.2022 समय 05.15 पी0एम0</u>

इस समय परिवादी श्री खीमपुरी पुत्र श्री प्रभुपुरी जाति गोस्वामी उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान नगर जालोर मोबाईल नम्बर 9799776725 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को पढकर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री खीमपुरी से तसल्ली से पूछा गया तो परिवादी श्री खीमपुरी ने बताया कि मैं फर्म जय गुरूदेव माईन्स में केयरटेकर का काम करता हूं। हमारे द्वारा उक्त फर्म का पूर्व का रिटर्नस (टेक्स) जमा नही करवाया गया था इसलिए सीजीएसटी विभाग जालोर द्वारा हमारी उक्त फर्म का सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया था। इसको वापिस एक्टीवेट (चालू) करवाने के लिये मैनें करीब एक माह पूर्व का बकाया रिटर्नस ऑनलाईन जमा करवा दिया था। रिटन जमा करवाने के उपरान्त भी सीजीएसटी विभाग के अधीक्षक श्री श्योराम मीणा मुझे बार–बार चक्कर कटवा रहै है। आज से करीब तीन–चार रोज पूर्व मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक साहब से उनके कार्यालय में

मिला तो उन्होनें कहा कि तुम्हारी फर्म को पुनः एक्टीवेट (चालू) करवाना है तो दो लाख रूपये खर्चे पानी के देने पडेगें वर्ना घूमते रहोगें। मैं श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री श्योराम मीणा अधीक्षक से कोई दुश्मनी नही है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने यह टाईपशुदा रिपोर्ट अपने किसी विश्वसनीय ईमित्र सेन्टर से टाईप करवाना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं. 96 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री खीमपुरी से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री विक्रमसिंह कानि0 को सुपूर्द कर हिदायत दी की कि परिवादी श्री खीमपुरी के साथ शिवाजी नगर ,जालोर में स्थित सीजीएसटी विभाग कार्यालय में जाकर श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री खीमपुरी तथा श्री विक्रमसिंह कानि0 को सीजीएसटी विभाग कार्यालय के लिए रवाना किया गया।

दिनांक 08.02.2022 को वक्त 06.40 पी0एम0 पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री विक्रमसिंह कानि0 हमरा परिवादी श्री खीमपुरी के ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री विक्रमसिंह कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 08.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी खीमपुरी के साथ रवाना होकर शिवाजी नगर, जालोर में स्थित सीजीएसटी विभाग कार्यालय के समीप पहुँचा। जहां परिवादी श्री खीमपुरी ने अपने स्तर पर श्री श्योराम मीणा अधीक्षक की उपस्थिति के बारे में मालूमात की तो ज्ञात हुआ कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक सीजीएसटी विभाग जालोर में ही उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री खीमपुरी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर सीजीएसटी विभाग जालोर में जाकर श्री श्योराम मीणा से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। मन् कानि0 आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इन्तजार में व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री खीमपुरी उपस्थित आया। परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वंय के कब्जे लिया गया। परिवादी ने बताया कि श्री श्योराम मीणा अधीक्षक मुझे अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिले। जिनसे मैनें मेरी फर्म जय गरूदेव ग्रेनाईट को पुनः एक्टीवेट करवाने का कहने पर श्री श्योराम मीणा ने पहले दो लाख की रिश्वत की मांग की बाद में मेरे द्वारा विनती करने पर डेढ लाख व बाद में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई। वगैरा वार्ता उक्त टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पश्चात मैं एंव परिवादी श्री खीमपुरी शिवाजी नगर, जालोर स्थित सीजीएसटी कार्यालय से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये है।